विचार बिन्दु

क्रोध यमराज है। –चाणक्य

संसद में भारत के संविधान पर भारी हंगामे के साथ चर्चा हो चुकी है, आईये, हम भारत के नागरिक भी इसी विषय पर चर्चा करें

संसद के शीतकालीन सत्र में संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर 2 दिन की चर्चा (बहस) सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच शोरगुल व हंगामें के साथ हुई। कुछ समय पहले कुछ राज्यों में चुनाव हुये थे। चुनाव के समय कांग्रेस व उसकी सहभागी अन्य राजनीतिक पार्टियों ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि यह पार्टी संविधान को खत्म करने पर आमादा है। संविधान के विरूद्ध इस पार्टी का व्यवहार अलोकतांत्रिक है पिछले दस वर्षों में राजनीतिक ओहदेदारों ने लोकतंत्र को क्रमिक तरीके से नुकसान पहुंचाया है। जब चुनाव में पूरा विपक्ष जाति जनगणना की बात करता है तो पीएम मोदी कह रहे थे कि विपक्ष वाले आपकी भैंस चुरा लेंगे, मंगल सूत्र चुरा लेंगे देश के किसानों को भगवान भरोसे छोड दिया है। एक अदाणी को बचाने के हेतु 142 करोड़ जनता को नकारा जा रहा है। बंदरगाह, एयरपोर्ट, सडकें, रेल्वे का काम, खदानें, सरकारी कम्पनियां केवल एक व्यक्ति को दी जा रही हैं। अन्य अरोप भी कई हैं, किन्तु इनसे मिले जुले हैं।

सत्ता पक्ष की ओर से रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने इस सम्बन्ध में बहस प्रारम्भ की और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी बाड्रा ने उपरोक्त आरोपों पर प्रकाश डाला।

सभी वक्ताओं ने यह तो माना कि भारत का संविधान बहुत अच्छा है। भारत दुनियां का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उसमें सब परिस्थितियों के लिये लोकतंत्र को प्रभावी बनाने के प्रावधान हैं। बीजेपी का आरोप था कि कांग्रेस राज में संविधान में कई संशोधन किये गये। जिनमें पहला संशोधन व्यक्ति के मौलिक अधिकार को खण्डित करने वाला था और कुछ सत्ता पक्ष की राजनीतिक पार्टियों के हित में थे। कांग्रेस का बीजेपी पर आक्रमण इस आधार पर था कि वह वर्तमान संविधान के स्थान पर नया संविधान लाना चाहती है तथा आरक्षण को समाप्त करने का इरादा रखती है। सत्ता पक्ष व विपक्ष के आरोपों में कितना सच व झूठ है इसे जनता समझ गई है।

लगभग यही चर्चा राज्य सभा में भी हुई है। इस लेख का उद्देश्य केवल इतना ही है कि एक प्रगतिशील, लोकतांत्रिक, लोगों को मौलिक अधिकार देने वाला, स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रणेता और जन–जन की आशाओं का पल्लवित करने वाले संविधान का क्रियान्वय किसी भी राजनीतिक पार्टी ने जब वह शासन में रही सही रूप से नहीं किया। देश को प्रगति के स्थान पर पिछड़ा कर दिया। यानी सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों ही दोषी हैं।

अनुच्छेद 35ए (35क) वस्तुत: संविधान का भाग ही नहीं है। इसे राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र बाबू के आदेश (Order) से सन् 1954 में जोड़ा जाना बतलाया था, जबकि संविधान में संशोधन केवल अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया ही से किया जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रमाणिक कॉपी में इसे नहीं जोड़ा गया है। आप संविधान की पुस्तक उठाकर देख लें आपको यह प्रावधान नहीं मिलेगा। अनुच्छेद 35क से जम्मू–कश्मीर की विधायिका को राज्य के स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार दिये थे। इसके अनुसार अन्य राज्यों के निवासियों को काम करने या सम्पत्ति के स्वामित्व की अनुमति नहीं थी। यह देश के नागरिकों में भेदभाव पैदा करने वाला था और इसी के कारण जम्मू–कश्मीर के निवासी भारत के अन्य भाग से जुड़ना नहीं चाहते थे जबकि जम्मू व कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, यहां तक की जम्मू–कश्मीर के संविधान में भी इसे भारत का अभिन्न अंग माना था। जम्मू–कश्मीर के महाराजा ने भी विलय पत्र में अपने जम्मू–कश्मीर को यथावत भारत के अभिन्न अंग होने हेतु देने को स्वीकार किया है, जिस पर किसी का ध्यान हीं नहीं गया। अब 35क को व अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया है। कुछ राजनीतिक पार्टियां कहती हैं हम 35क व 370 को पुन: लेकर आयेंगे, यह मिथ्या प्रमाद है। असम्भव घटना है। बिना अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया अपनाये संविधान में कोई भी संशोधन नहीं हो सकता।

संविधान जो 26 जनवरी, 1950 से लागू हुआ उस समय अनुच्छेद 45 में यह लिखा था कि राज्य 14 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का उपबन्ध संविधान लागू होने के 10 वर्ष में करेगा। इस प्रावधान की अवज्ञा की गई। इसका परिणाम यह हुआ कि हमारे विधायक, सांसद व विधायक हमें ऐसे भी मिलते रहे हैं जो पढ़े–लिखे नहीं थे। अनुच्छेद 45 में उस समय, समय की सीमा 10 वर्ष तक की थी। इसका अर्थ था कि वह अनुच्छेद 37 से प्रभावित नहीं था। यह प्रावधान Sun Set Laws के अनुरूप था। किन्तु संविधान (86वां संशोधन) अधिनियम 2002 से इसे संशोधित कर दिया गया और इसके स्थान पर नया 45 अनुच्छेद लाया गया जिसमें 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिये राज्यों को अनुरोध किया कि वे उन बालकों की प्रारम्भिक बाल्यावस्था देख–रेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। यह संशोधन अधिनियम दिनांक 1.4.2010 से लागू हुआ। साथ ही अनुच्छेद 21 के साथ अनुच्छेद 21क दिनांक 1.4.2010 से जोड़ा गया। यहां यह लिखना समीचीन होगा कि अनुच्छेद 21 जो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार शिक्षा का मौलिक अधिकार सभी आयु वाले बालकों को भी देता है, उसे 21क के अनुसार शिक्षा के मौलिक अधिकार से 6 वर्ष तक के बालकों से छीन लिया और इसे 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों तक सीमित कर दिया। ओरिजनल प्रावधान अनुच्छेद 45 जिस रूप में था, वह संविधन का मूल ढांचा (Basic Featurek) था अत: संशोधित प्रावधान 45 व अनुच्छेद 21क अवैध है। यानी देश के करोड़ों बालकों का नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया। राज्यों ने राइट टू एजूकेशन एक्ट 2009 में इसे और भी दयनीय कर दिया। प्राइवेट स्कूलों में केवल 25 प्रतिशत तक ही गरीब व पिछड़े बच्चों को दाखिला मिलता है वह भी कठिनाई से। राज्य के स्कूलों में कोई व्यवस्था नहीं है। 26.1.1950 के संविधान के अनुसार 14 वर्ष के बालकों के लिये शिक्षा नि:शुल्क व अनिवाय थी वहां आज बच्चों से उनका मौलिक अधिकार छीन लिया गया है। ध्यान रहे स्कूलों में 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिये बालवाडी में पढ़ते हैं। प्राइवेट में बालवाडी की फीस बहुत है, गरीब का बच्चा वहां जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। इसका यह असर है कि गरीब का बच्चा 6 वर्ष का होने पर जब पहली कक्षा में जाते हैं तो रंगो की पहिचान, अक्षर ज्ञान व गिनती तक समझ लेते हैं।

भारतीय संविधान 44 में व्यवस्था है कि राज्य भारत के सभी राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिये समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। इस अनुच्छेद के अनुसार समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिये। यह प्रावधान गम्भीर व बहस के बाद पारित हुआ था। इसका विरोध अब नहीं हो सकता। इस पर चर्चा होनी चाहिये थी; किन्तु किसी भी सांसद ने इस ओर इशारा तक नहीं किया।

अनिवार्य शिक्षा केवल 'जुमल' है। बच्चे शहर के चौराहों पर भीख मांगते नजर आयेंगे। राज्य का दायित्व है कि वे ऐसे बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था करे।

संसद में आरक्षण की बहुत चर्चा हुई। यहां लेखक पाठकों का ध्यान अनुच्छेद 334 में उल्लेख है कि लोकसभा में और राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थानों का आरक्षण है तथा स्पष्ट किया गया है कि इस संविधान के उपबन्ध इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेंगे।

इस प्रावधान में प्रत्येक 10 साल में संशोधन कर उसे 10 वर्ष बढ़ा दिया गया है। संविधान 104 संशोधन अधिनियम 2019 से इसमें 70 वर्ष के स्थानों पर 80 किया गया है। ये सभी संशोधन Sun Set Laws के अनुसार थे। प्रावधान के अनुसार ये समय सीमा 10 वर्ष के पश्चात स्वत: ही समाप्त हो चुकी थी। उन्हें संशोधन कर बढ़ाना सर्वथा अवैध है। इस प्रावधान में स्पष्ट इंगित किया है कि उपबन्ध इस संविधान के प्रारम्भ से दस साल की अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेंगे। यानी स्वत: ही समाप्त होने वाला प्रावधान है यानी यह उपबन्ध Basic Feature था, जिसमें संशोधन सम्भव नहीं है।

ऑरिजनल उपबन्ध के कारण विधानसभा व संसद की सीट का आरक्षण एसटी एससी के हेतु केवल 10 वर्ष का था अब जनरल उम्मीदवार का चुनाव लड़ने का अधिकार समाप्त होता जा रहा है। गत 64 वर्षों से जनरल सीट होने के उपरान्त भी इस सीट पर चुनाव में खडे होने वालों का अधिकार समाप्त कर दिया गया है। कांग्रेस व बीजेपी दोनों ही सरकारों ने यह सीमा अपने–2 शासन के काल में बढ़ाई है।

संविधान के अनुच्छेद 327 में लोकसभा तथा विधान सभाओं के चुनाव के हेतु कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 चुनाव का कानून है जिसे संसद ने बनाया है। संसद और विधान सभाओं कानून बनाती हैं, अत: यह आवश्यक है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही सांसद व विधायक होना चाहिये। संविधान के निर्माता जानते थे कि देश अधिकांश लोग पढ़े–लिखे नहीं हैं अत: अनुच्छेद 45 में व्यवस्था की कि प्रत्येक व्यक्ति आठवीं कक्षा तक का ज्ञान प्राप्त करे और शिक्षा को अनिवार्य व नि:शुल्क 10 वर्ष तक के लिये किया जैसा ऊपर लिखा है; किन्तु आज तक इस पर प्रभावी रूप से कार्य नहीं हुआ। चुनाव कानून है; किन्तु चुनाव में खड़े होने वाले व्यक्ति के लिये शिक्षा के बाबत को उपबन्ध नहीं है। अत: कानून बनाते समय पर्याप्त चर्चा नहीं हो पाती और सही कानून नहीं बन पाते। यह विषय था जिस पर चर्चा होनी चाहिये थी, किन्तु चर्चा केवल सत्ता पक्ष व विपक्ष का एक दूसरे पर दोषारोपण तक ही सीमित थी।

संविधान में अनुच्छेद 51क में नागरिकों के मूल कर्त्तव्य दिये हैं। प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है कि वह इन कर्त्तव्यों की पूर्ण पालना करें। अनुच्छेद 51क का सबक्लॉज (झ) कहता है कि प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है कि वह सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे और (छ) प्रत्येक नागरिक से अपेक्षा करता है कि वह प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। इनकी पालना कराई जावे तो आज हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ आदि की घटनायें ही न हों। सरकार चुनाव कानूनों में ऐसे व्यक्तियों को जो कर्त्तवयों की अवहेलना करते पाये गये हैं उन्हें चुनाव लड़ने से Disqualify (अयोग्य) घोषित किया जावे।

भारतीय संविधान 44 में व्यवस्था है कि राज्य भारत के सभी राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिये समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। इस अनुच्छेद के अनुसार समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिये। यह प्रावधान गम्भीर व बहस के बाद पारित हुआ था। इसका विरोध अब नहीं हो सकता। इस पर चर्चा होनी चाहिये थी; किन्तु किसी भी सांसद ने इस ओर इशारा तक नहीं किया। अनुच्छेद 44 राज्य की नीति के निदेशन तत्व का एक आवश्यक भाग है जिसके द्वारा संविधान के रचनाकारों ने अपेक्षा की थी कि देश की सरकार देश की एकता के लिये इसे लागू करेगी। इसे लागू करने के बाबत नीति आयोग कई बार कह चुका है।

अनुच्छेद 47 शराबबंदी के सम्बन्ध में है। गुजरात व बिहार के अलावा शराबबंदी नहीं है। शराबबंदी गांधीजी का सपना था। गांधीजी ने कहा था कि यदि कोई मुझे शासक बनादे तो मेरा पहला कार्य शराबबंदी होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्टरूप से कहा है कि देश कल्याणकारी राज्य है, और कल्याणकारी राज्य शराब की आय से नहीं चलाया जा सकता। जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड नहीं हो सकता। शराब के ठेकों के बाबत केजरीवाल के विरूद्ध फौजदारी केस चला रहा है, जहां उनका कहना है कि राज्य की आय बढ़ाने के हेतु ठेका दिया गया था। जबकि यह कथन अलोकतांत्रिक है Moral Values के विरूद्ध है।

भारतीय संविधान 42वें संशोधन से राजीव गांधी के समय संविधान में वर्ष 1993 में 74वें संशोधन के द्वारा भाग–IX व भाग–X जोडे थे। भाग–IX पंचायतों से सम्बन्धित है और भाग–X नगरपालिकाओं से। सन् 1993 से ये जोडे गये थे। इसके अनुसार नगरपालिका को यह कहकर परिभाषित किया गया था कि नगरपालिका स्वायत्त शासन की संस्था है। जबकि उस समय नगरपालिकायें म्युनिसिपिलीटिज एक्ट के तहत Body Corporate कही जाती थी। राजस्थान में पुराना कानून लगा है, उसी के तहत टैक्स वसूल किया जाता है जबकि संविधान के अनुच्छेद 243 (W)स के अनुसार केवल वही अधिकार दिये जा सकते हैं जो राज्य की विधायिका उस विषयों के बाबत बना सकती हैं जो 12वीं अनुसूची (अनुच्छेद 343 W) से सम्बन्ध रखते हैं। राजस्थान म्युनिसिपिलीटिज अधिनियम 2009 रिपील हो चुका है अत: जयपुर नगर निगम, जयपुर का अस्तित्व ही वैध नहीं है।

फ्रीबीज मतदाता के लिये प्रलोभन है अत: जो पार्टी फ्रीबीज की घोषणा करती है व देती है, उसके टिकिट पर चुनाव लड़ने वाले को Disqualify (अयोग्य) घोषित किया जावे अथवा चुनाव याचिका दायर कर चुनाव को अवैध करार दिलाया जावे।

उपरोक्त सभी विषयों पर चर्चा होनी चाहिये।

–अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

टकराव टालने में कामयाब रहे भजनलाल

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल ने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में कोई टकराव पैदा नहीं किया और न ही टकराव पैदा करने वाले के झाँसे में आये। कम अनुभवी नेता को मुख्यमंत्री बनाने का केन्द्रीय आलाकमान का फ़ैसला कामयाब रहा और हाल फिलहाल कोई चुनौती भी नहीं दिखती। कई बड़े नेताओं की नाराज़गी की बातें भी तब हवा हो गई जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर ने भजनलाल सरकार के काम काज कीं खुलकर तारीफ़ की।

भाजपा के पिछले मुख्यमंत्रियों की बात करें तो उन्हें टकराव से कोई भय नहीं था तथा कई बार आलाकमान को भी आँखें दिखाने से नहीं चूके। सत्ता और संगठन में भी टकराव पैदा होता रहा और पार्टी के कई विधायक भी आमने–सामने आते रहे। पूर्व मुख्यमंत्री भैरौसिह के सामने संगठन के लोगों ने तब ख़तरा पैदा कर दिया था जब बह बीमार थे। इसी तरह श्रीमती राजे की भी पार्टी कई नेताओं के साथ अदावत चलती रही तथा विभिन्न समाजों के नेता भी टकराव पैदा करते रहे। इधर किरोड़ी लाल मीणा ज़रूर कई मुद्दों को लेकर सरकार के सामने चुनौती पैदा कर रहें हैं लेकिन उनसे भी भजनलाल टकराव टालते रहे हैं ।

केंद्र के आशीर्वाद के कारण नेताओं में दम्भ आना स्वाभाविक है लेकिन यह भी भजनलाल में अभी दिखाई नहीं दिया । कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे भरतपुर के जगन्नाथ पहाड़िया को आलाकमान का पूरा आशीर्वाद था लेकिन अपने स्वभाव के कारण वह कवियित्री महादेवी के लेखन की आलोचना कर बैठे तथा टकराव को नहीं टालने के कारण उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हाथ धोना पड़ा था ।

भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री राजस्थान

कांग्रेस–भाजपा सभी मुख्यमंत्रियों को टकराव के कारण परेशानी उठानी पड़ी लेकिन भजनलाल इससे बचने में माहिर साबित हए। उप चुनाव में पार्टी को हरवा कर मुख्यमंत्री की कुर्सी को हिलाने के प्रयास के भी कई उदाहरण हैं लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल इस खेल को भी जीतने में कामयाब रहे तथा लोकसभा चुनाव में खाये झटके से सचेत होकर सात सीटों पर हुए उपचुनाव में पाँच पर जीत दर्ज कर ली।

यह माना जा रहा है कि भजनलाल पार्टी के एजेंडे पर काम करेंगे लिहाज़ा उन्हें अलग से दिशा निर्देश की ज़रूरत नहीं रहेगी। इससे पहले भाजपा मुख्यमंत्रियों को अपनी तरह से चलाना केन्द्रीय आलाकमान के बस में नहीं था। हालाँकि पार्टी की विचारधारा से सरकार को चलाने का कौशल भजनलाल को दिखाना होगा जिसमें विभिन्न समाज और धर्म से टकराये बिना सरकार काम करती रहे। राजस्थान राइजिंग की सफलता का श्रेय मुख्यमंत्री को न सिर्फ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया बल्कि प्रदेश के नेता भी इससे पीछे नहीं रहे । लेकिन इसके आगे की सफलता की कहानी भी भजनलाल को लिखनी होगी। हर बार निवेशक आते रहे हैं लेकिन हक़ीक़त बदलने के प्रयास बहुत कम हुए हैं। राज्य में रोज़गार के अवसर पैदा होने के साथ पर्यावरण को नुक़सान नहीं पहुँचाने वाले उद्योगों की स्थापना के साथ कचरे को उपयोगी बनाने वाले संस्थान खड़े करना एक बड़ी चुनौती है उनके सामने।

पिछली कांग्रेस सरकार में नौकरियों में भ्रष्टाचार को बहुत बड़ा मुद्दा बनाने वाले भजनलाल इसमें राजनीतिक गठजोड़ को ख़त्म कर पायेंगे या प्रशासनिक स्तर पर कार्यवाही तक सीमित रह जायेंगे यह भी देखना होगा। फ़िलहाल भजनलाल पर्ची की सरकार के आरोपों से निकलकर आगे बढ़ने की दिशा में चल पड़े हैं जिन पर अभी तक किसी का पक्षधर बनने या जानबूझकर टकराव लेने के कोई आरोप नहीं हैं ।

–सुरेश पारीक,
वरिष्ठ पत्रकार, जयपुर

कितना उचित है धार्मिक आराध्यों का उपहास?

श्याम सिंह 'पंवार'

भारत की व्यवस्था का संचालन भले ही संवैधानिक है लेकिन धार्मिकता का भी अपना एक अनूठा स्थान है क्योंकि संविधान ने किसी भी नागरिक को किसी भी धर्म की आस्था अथवा उनके आराध्यों के साथ खिलवाड़ अथवा उनका उपहास उड़ाने की अनुमति कतई नहीं देता है। बावजूद इसके कानपुर शहर के कुछ प्रतिष्ठानों में ऐसे नजारे प्रकाश में आये हैं जिनको देखकर आश्चर्य हुआ कि अपने प्रतिष्ठानों में गलियारों एवं सीढ़ियों को गंदगी से बचाने के लिये धार्मिक चित्रों को स्थापित करवा दिया गया है। खास पहलू यह है कि प्रतिष्ठानों के मालिकों की नजर में ऐसा कृत्य किसी भी नजरिये से अनुचित नहीं है जबकि सनातन ही नहीं अपितु हर धर्म के आस्थावान लोगों के नजरिये से ऐसा कृत्य उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ है। उनका मानना है कि ऐसा करने वाले लोगों ने यह कृत्य अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझ कर किया है क्योंकि बड़े–बड़े प्रतिष्ठान चलाने वाले ये लोग, अनपढ़ अथवा नासमझ नहीं बल्कि उच्च शिक्षित व विधिक जानकारी रखने वाले लोग हैं। बिगत दिनों एक मामला कानपुर शहर के स्वरूपनगर में प्रकाश में आया, जहाँ मोतीझील मेट्रो स्टेशन के निकट स्थित नादरी कार्नर मार्केट में हिन्दू धर्म के देवी–देवताओं के चित्रों को उन स्थानों पर स्थापित किया गया था, जिन स्थानों पर लोग मौका पाते ही पान–तम्बाकू की 'पीक' थूक देते थे। ऐसे में गन्दगी होना स्वाभाविक सी बात है लेकिन खेदजनक नजारा यह रहा कि उन स्थानों पर लोग न थूकें, इसलिये हिन्दू धर्म के देवी–देवताओं के चित्रों को स्थापित करवा दिया गया था!!

मामला प्रकाश में आया और शहर के कई समाचारपत्रों ने इस मामले को आमजन में प्रसारित किया। इस बारे में जनप्रतिनिधियों की राय भी मांगी तो उन्होंने अपनी–अपनी घिसी–पिटी बयानवाजी देकर औपचारिकता निभा दी। लेकिन, कई समाचारपत्रों में खबर प्रकाशित होने पर परिणाम यह हुआ कि नादरी कार्नर मार्केट से देवी–देवताओं के चित्रों को हटा दिया गया और मामले को रफा–दफा कर दिया गया। अब नया मामला सिविल लाइंस स्थित लीलामणि अस्पताल से प्रकाश में आया है। जानकारी के मुताबिक, मरीजों और तीमारदारों के आवागमन के लिए बने रैम्प के आसपास की दीवारों को गंदगी से बचाने के लिए अनेक धर्मों के आराध्यों के चित्रों के टाइल्स लगाये गए हैं। ऐसा पता चला है कि यहाँ आने–जाने वाले लोग इन स्थानों पर न थूकें अथवा गंदगी करें, इसी उद्देश्य से कई धर्मों के आराध्यों के चित्रों वाले टाइल्स लगवाये गये हैं। ऐसे में विचारणीय पहलू यह है कि अस्पताल प्रबन्धन के नजरिये में ऐसा करना गलत नहीं हो सकता है लेकिन धार्मिक नजरिये से इसे उचित कतई नहीं कहा जा सकता है कि धार्मिक आराध्यों के चित्रों को उन स्थानों पर लगवा दिया जाये जहाँ लोग बेपरवाह होकर गंदगी फैला देते हैं।

उपरोक्त प्रकरणों पर गम्भीरता से विचार करने पर सवाल यह उठता है कि लोगों को गंदगी फैलाने से रोकने के लिए धार्मिक प्रतीक चिन्हों, उनके आराध्यों के चित्रों को लगाना क्या उचित है? क्या ऐसा कृत्य धार्मिकता का उपहास उड़ाना व आस्थावान लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है?

गौरतलब हो कि, "जो कोई (व्यक्ति), भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिये जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से, मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा, या संकेतों या दृश्य चित्रणों द्वारा या अन्यथा उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करता है या अपमान करने का प्रयास करता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से, या जुर्माना, अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा" अर्थात भारत के संविधान में किसी भी नागरिक को किसी भी किसी भी धर्म की आस्था से खिलवाड़ करने की खुली छूट नहीं है बल्कि किसी भी धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को विधिक प्रक्रिया के तहत दण्डित करने का प्रावधान है। अस्तु जिला प्रशासन को चाहिये कि ऐसे सभी मामलों को संज्ञान में ले और सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज करवा कर विधिक प्रक्रिया के तहत कार्यवाही करवाये।

–श्याम सिंह 'पंवार'
वरिष्ठ पत्रकार, कानपूर

बिना बिजली कनेक्शन ही किसान को मिला बिल

भीलवाड़ा। जिले के मांडल क्षेत्र में बिना विद्युत कनेक्शन हुए ही किसान को बिजली का बिल मिल गया।

क्षेत्र के भादू निवासी ने अपने खेत पर क्रृषि कनेक्शन के लिए आवेदन किया था, लेकिन अभी तक ना तो खेत में डीपी लगी है और ना ही खेत में अभी तक कोई बिजली का कनेक्शन हुआ है। भादू गांव के गोपाल लाल पुत्र रामलाल गाडरी ने अप्रेल 2018 में अपने खेत पर विद्युत कनेक्सन के लिए आवेदन किया था। कनेक्शन के लिए उसने अप्रेल 2018 में करीब 14150 रूपये भी जमा करवाए और दिसंबर 2018 में 2575 रूपये और जमा करवाए थे, लेकिन अभी तक उक्त किसान के खेत में ना तो डीपी लगी और ना ही मीटर लगा है लेकिन विभाग द्वारा उसे विद्युत का बिल पकड़ा दिया गया और उसमे 300 यूनिट विद्युत खपत भी दिखाई गई है । बिल देख कर किसान को अचम्भा हुआ की बिना कनेक्सन के ही मेरे को बिल भेजा गया, जिसमे 300 यूनिट की खपत भी दिखाई गई। विभाग की इस लापरवाही के कारण किसान चिंतिंत और परेशान है, लेकिन उसकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है।

आग लगने की सूचना से खलबली

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के सबसे बड़े महात्मा गांधी चिकित्सालय के बच्चा वार्ड में आग लगने की सूचना से खलबली मच गई। आनन–फानन में प्रशासन, पुलिस, दमकल, बिजली विभाग, एंबुलेंस आदि मौके पर पहुंच गये। अचानक हुई मॉक ड्रिल से अस्पताल में मौजूद सभी लोग सहम गए, लेकिन जब बाद में पता चला कि ये महज एक मॉक ड्रिल थी, जब लोगों की सांस में सांस आई। बता दें कि गुरुवार की शाम करीब साढ़े चार बजे पुलिस को सूचना मिली कि महात्मा गांधी अस्पताल में आग लग गई। सूचना पर कलेक्टर नमित मेहता, पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह, एएसपी पारस जैन, सहित अन्य पुलिस दल और पीएमओ अरुण गौड़, दमकल, एंबुलेंस, बिजली विभाग की रेस्पांस टीमें मौके पर पहुंच गई। वहां पहुंचते ही संबंधित महकमों ने स्थिति संभाली। तब पता चला कि यह तो आपातकालिन स्थिति से निबटने के लिए की गई मॉकड्रिल मात्र थी। कलेक्टर मेहता ने बताया कि आपातकालिन परिस्थितियों में बिजली का तंत्र जनरेटर से सुचारु रुप से संचालित हो सकता है या नहीं। साथ ही शॉर्ट सर्किट से या वायर गिरने से कहीं आग लग सकती है तो दमकल समय पर पहुंचती है या नहीं।

भटेवर के समीप नेशनल हाइवे पर दिखा पैंथर

उदयपुर, (कासं)। जिले में गोगुंदा और नई क्षेत्र में पैंथर के आंतक के बाद अब भटेवर मांच के समीप नेशनल हाइवे 48 पर ग्रामीणों को एक पैंथर नजर आया। ग्रामीणों ने वन विभाग और हाईवे कार्मिकों को इसकी सूचना दी।

भटेवर के समीप स्थित सिंघानिया यूनिवर्सिटी के पास नेशनल हाइवे 48 की सर्विस लेन पर बैठे पैंथर को देखकर कार चालक के होश उड़ गए। पेंथर खेतो से निकलकर सड़क को पार करने के लिए सर्विस लेन पर बने नाले के पास आकर दुक्क कर बैठ गया उस दौरान वहां से गुजर रहे कार चालक ने पैंथर को देख लिया और पेट्रोल पंप के कार्मिकों को सूचना दी। इसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे। साथ ही वहां से गुजर रहे वाहन चालकों व रास्ते पे आने जाने वाले लोगों का जमावडा लग गया। ग्रामीणों की आवाजाही और वाहनों के शोर शराबे से पेंथर वापस खेतो की तरफ भाग गया। ग्रामीणों ने बताया कि हाइवे के पास एक फैक्ट्री बन्द पड़ी हुई है। इस फैक्ट्री में पैथर अपने कूनबे के साथ रहता है। फेक्ट्री में झाडियां ओर बड़ी बड़ी पास होने से दिन के समय पेंथर अंदर दूबके रहते है। वही रात होने के बाद शिकार की तलाश में घनी आबादी की तरफ रुख करते है। कुछ महीनों पूर्व भी एक पैंथर शिकार की तलाश में गांव की तरफ आया और भागने के चक्कर में बिना मुंढेर के कुएं में गिर गया, जिससे पैंथर की मौत हो गई थी।

माता जय देवी का किया शरीरदान

मेडिकल कॉलेज में शोध कार्य के कार्य आएगी देहदान

सादुलपुर, (निसं)। डेरा सच्चा सौदा एवं एमएसजी मानवता भलाई केन्द्र के द्वारा चलाये जा रहे 167 मानवता भलाई के अन्तर्गत पूज्य गुरू संत डॉ गुरमीत राम रहीम सिंह जी इन्सां के पावन प्रेरणा के चलते चूरू जिले के सिद्धमुख ब्लॉक के गांव चैनपुरा छोटा निवासी 60 वर्षीय माता जय देवी इन्सां के निधन पर मेडिकल कॉलेज कोटा में मेडिकल रिसर्च के लिए गुरूवार को उनका देहदान किया गया।

इस मौके पर शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेल्फैयर फोर्स विंग के सेवादारों ने माता जय देवी इन्सां की शव यात्रा में शिरकत की। इस अवसर पर माता जय देवी इन्सां अमर रहे–अमर रहे, शरीर दान महादान–महादान के गगनभेदी नारे लगाये गये। वहीं आम्रपाली इन्सां, राजवीर इन्सां व बलराम इन्सां ने देहदान कार्यक्रम के दौरान सम्बोधित करते हुए कहा कि आज यह चूरू जिले में यह चौथी बॉडी दान की गई है, जबकि सिद्धमुख ब्लॉक में प्रथम देहदानी माता जय देवी इन्सां ने अपनी देह का दान कर बहुत बडी मिशाल पेश की है, जिसके लिए पुरी डेरा सच्चा सौदा की पुरी साध संगत माता को सैल्यूट करती है तथा उनके इस जज्बे को एवं उनके पूरे परिवार के लिए सतगुरू दाता से अरदास करते हैं कि इसी प्रकार से डेरा सच्चा सौदा द्वारा चलाये जा रहे 167 मानवता भलाई के कार्यो पर चलते हुए एक नई मिशाल कायम की है, उसके लिए पूरे परिवार को साध–संगत सैल्यूट करती है तथा पुरी साध–संगत माता जय देवी इन्सां के पदचिन्हों पर चलते रहेंगे।

इसी दौरान डेरा सच्च्वा सौदा एवं मानवता भलाई केन्द्र के पूज्य गुरूजी की प्रेरणा से बेटा–बेटी एक समान मानते हुए जय देवी इन्सां की अर्थी को बेटियों ने कंधा देकर महावीर इन्सां के निवास स्थान से गांव के प्रमुख मार्गो के शव यात्रा निकालकर अन्त में जय देवी इन्सां का देहदान कर उनके परिजनों ने अनूठी मिशाल पेश की तथा यह संदेश दिया गया कि मरने के बाद भी मानव का शरीर समाज के काम आये, इसलिए उनका शरीरदान कर मेडिकल कॉलेज के छात्रों के लिए शोध कार्य हेतु के लिए धन–धन सतगुरू तेरा ही आसरा के गगनभेदी नारों के साथ एम्बुलेंस के द्वारा कोटा के लिए रवाना किया। इस अवसर पर राजस्थान प्रान्त के 85 मेम्बर सेवादार, शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोंस विंग के सेवादारों सहित चूरू जोन के ब्लॉक सिद्धमुख, राजगढ, तारानगर, ददरेवा, चूरू, सरदारशहर, भादरा, नेठराना, महाराणा, राजपुरा सहित पूरे चूरू जोन के डेरा सच्चा सौदा एवं मानवता भलाई केन्द्र के हजारों अनुयायी उपस्थित थे।

राशिफल शुक्रवार 20 दिसम्बर, 2024

पंडित अनिल शर्मा

पौष मास, कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2081, मघा नक्षत्र रात्रि 3:47 तक, विष्कुम्भ योग सायं 6:11 तक, तैतिल करण दिन 10:49 तक, चन्द्रमा आज सिंह राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य–धनु, चन्द्रमा–सिंह, मंगल–कर्क, बुध–वृश्चिक, गुरू–वृष, शुक्र–मकर, शनि–कुम्भ, राहु–मीन, केतु–कन्या राशि में।

आज कुमार योग सूर्योदय से रात्रि 3:47 तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग रात्रि 3:47 से सूर्योदय तक है। रवियोग रात्रि 3:47 से आरम्भ होगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:32 तक, लाभ–अमृत 8:32 से 11:07 तक, शुभ 12:24 से 1:41 तक, चर 4:16 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 7:15, सूर्यास्त 5:33

मेष
परिवार में वाद–विवाद टालना ठीक रहेगा। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। आज परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है।

वृष
घर–परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा। परिवार में धार्मिक–सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख–सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

मिथुन
व्यावसायिक कार्य के लिए यात्रा संभव है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आय में वृद्धि होगी। परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

कर्क
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों पर नियंत्रण बना रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

सिंह
व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या
आर्थिक/वित्तीय मामलों में परेशानी हो सकती है। धन हानि का भय बना रहेगा। अनावश्यक धन खर्च होगा। आज पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा।

तुला
आर्थिक/वित्तीय मामलों में परेशानी हो सकती है। धन हानि का भय बना रहेगा। अनावश्यक धन खर्च होगा। आज पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। परिवार में वाद–विवाद टालना ठीक रहेगा। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित विवादों से राहत मिल सकती है। अस्त–व्यस्त कार्य व्यवस्थित होने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन
स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। किसी भी कारण से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।